

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या20...../भू अ०

दिनांक : 04/01/18

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-हारला, थाना-देवघर, थाना सं०-677, अंचल :-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर बाईपस (रिंग रोड) पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-हारला, थाना- देवघर, थाना सं०-677, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमीवेश 9.54 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	133	रैयती	धानी-2	0.33	तारणी ततवा पे० स्व० रतन ततवा।	मौजा-हरकटा नं०-67 8 एवं अर्जित दाग का अंश	अर्जित दाग का अंश एवं वाड़ा नं०-6 75	वाड़ा नं० 675	रांगा नं०-7 13
2	3	130	रैयती	धानी-2	0.02	तथैव।				
3	5	144	रैयती	बाड़ी-2	0.13	कपिल देव चौधरी वो नरेश चौधरी वो सुरेश चौधरी पे० स्व० बट्टी चौधरी वो देवेन्द्र प्र० चौधरी वो सुदामा चौधरी वो योगेन्द्र प्र० चौधरी वो रविन्द्र कुमार चौधरी पे० स्व० सहदेव चौधरी।				
4	5	155	रैयती	धानी-2	0.19	तथैव।				
5	5	162	रैयती	धानी-2	0.20	तथैव।				
6	5	169	रैयती	धानी-2	0.37	तथैव।				
7	5	186	रैयती	धानी-2	0.46	तथैव।				
8	8	140	रैयती	बाड़ी-2	0.02	वासमाती देव्या पति स्व० जलेश्वर चौधरी वो बालेश्वर चौधरी वो नागेश्वर चौधरी वो शिव नारायण चौधरी पे० स्व० भक्तु चौधरी।				
9	8	135	रैयती	बाड़ी-2	0.35	तथैव।				
10	8	132	रैयती	धानी-3	0.08	तथैव।				
11	8	152	रैयती	धानी-3	0.03	तथैव।				
12	8	159	रैयती	धानी-1	0.30	तथैव।				
13	8	167	रैयती	धानी-3	0.31	तथैव।				
14	10	20	रैयती	धानी-2	0.35	श्याम देव चौधरी वो नकुल चौधरी पे० स्व० अमीन चौधरी वो अरुण चौधरी वो सुयोग चौधरी वो शलेन्द्र चौधरी पे० स्व० राज कुमार चौधरी उर्फ भोलू चौधरी वो सुभद्रा देवी पति स्व० बलदेव चौधरी वो सर्वेश्वर चौधरी पे० स्व० महरू चौधरी।				
15	10	142	रैयती	बाड़ी-2	0.60	तथैव।				
16	10	136	रैयती	बाड़ी-2	0.66	तथैव।				

17	10	157	रैयती	धानी-2	0.64	तथैव।				
18	10	153	रैयती	धानी-2	0.11	तथैव।				
19	10	160	रैयती	धानी-2	0.13	तथैव।				
20	10	161	रैयती	धानी-1	0.34	तथैव।				
21	10	165	रैयती	धानी-2	0.11	तथैव।				
22	10	166	रैयती	धानी-2	0.05	तथैव।				
23	10	168	रैयती	धानी-2	0.17	तथैव।				
24	10	182	रैयती	धानी-2	0.57	तथैव।				
25	10	183	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।				
26	10	184	रैयती	धानी-2	0.23	तथैव।				
27	10	185	रैयती	धानी-1	0.25	तथैव।				
28	10	188	रैयती	धानी-2	0.30	तथैव।				
29	10	183	रैयती	बाड़ी-2	0.09	तथैव।				
30	11	134	रैयती	बाड़ी-2	0.67	सत्यनारायण चौधरी पे० स्व० महराज चौधरी वो अजनास देवी पे० हाकिम चौधरी।				
31	11	131	रैयती	धानी-2	0.12	तथैव।				
32	11	154	रैयती	धानी-3	0.19	तथैव।				
33	11	158	रैयती	धानी-1	0.32	तथैव।				
34	11	164	रैयती	धानी-3	0.13	तथैव।				
34	14	19	रैयती	धानी-3	0.14	देवकी देव्या पति स्व० भुवनेश्वर ततवा।				
36	14	18	रैयती	धानी-2	0.19	तथैव।				
37	16	139	रैयती	बाड़ी-2	0.27	नन्दकिशोर चौधरी पे० स्व० जगदीश चौधरी वो कामदेव चौधरी वो बलदेव चौधरी पे० स्व० विशम्बर चौधरी वो हलधर चौधरी वो विपीन चौधरी वो बबलू चौधरी पे० स्व० रुद्र देव चौधरी।				
38	16	137	रैयती	बाड़ी-2	0.08	तथैव।				
कुल रकवा-					9.54					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न

e:\2015 l.a (b.k.)\all project for road\ring road\notification\3rd time\harala.docx

करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेंगी।

Sahy
4/1/18

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक20..... / भू अ0, देवघर, दिनांक04/01/18.....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

Sahy
4/1/18

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।